फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी** मुकाम **सूरजगढ़**

चन्द्रो देवी बनाम मुन्शीराम वगै0

किस्म मुकदमा धारा **प्रार्थना पत्र 212** मुकदमा न0 117...../**2023**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
13.07.2023	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए श्री संदीप मान अधिवक्ता के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुविधा का असन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का मामला बनता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंन्धित किया जाता है कि मौजा ग्राम आसलवास तहसील सुरजगढ़ के ख0न0 771 रकबा 2.79 है0 कृषि भूमि को रहन बैय न करें, प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करें व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। बैंक ऋण (RODA ACT) पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा केवल आगामी तारीख पेशी तक ही लागू होगी। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण को तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस प्रस्तुत नहीं करने तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित हो। इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन हाजिर होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश करे कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई व्यादेश ताफैसला बाद कन्फर्म करे कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई व्यादेश ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण को तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं व सामान्य नोटिस भिजवाया जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 31.08.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	

17-8-23 | आज यह पत्रावली वकील वादी द्वारा दार्खास्त पत्र मिसल तलबी पेश करने पर आज कि तारिख पेशी की ली गई है एवं वकील वादी द्वारा दार्खास्त पत्र और ... पेश किया जिसके अनुसार वादी उक्त उनवाली दार्खास्त पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाना चाहते है अतः पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है उक्त उनवाली दार्खास्त पत्र को वादीया आगे नहीं चलाना चाहती है अतः दार्खास्त पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13-7-2023 को खारीज किया जाता है पत्रावली फैसलशुमार नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो एवं मूल दावा के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़